संख्या:-13/2021/864/78-1-2021-05आई0टी0/2021

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 14 जुलाई, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में लेखा शीर्ष ''2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों-202 इलेक्ट्रानिक्स- 03-शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु धनराशि रू0 128.30/- लाख (रूपये एक करोड, अट्ठाईस लाख, तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या- यूपीएलसी:आईसीपी:9064 (2021-22), दिनांक 07 जून, 2020 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखा शीर्ष 2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों-202 इलेक्ट्रानिक्स-03-शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु धनराशि रू0 128.30/- लाख (रूपये एक करोड, अट्ठाईस लाख, तीस हजार मात्र) को निदेशक उद्योग के निर्वतन पर रखे जाने की निम्निलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26.06.1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण कर उसे पीएलए/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के राजस्व लेखा के अन्तर्गत अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग(भारी एवं मध्यम उद्योग) के "लेखाशीर्ष-2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-03-शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण-58 आउटसोसिंग सेवाओं के भुगतान हेतु मद में'' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020, 11-04-2020 व 18-05-2020 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च , 2021 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

3- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बजट मैनुअल के समस्त प्राविधानों/नियमों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-13/2021/864(1)/78-1-2021 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4–निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, प्लान फाइनेंस-1 डिवीजन व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजनअनु0-4
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योगअनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2
13- मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-3
14- अनु सचिव/नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।